न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी –डॉ0सूरज सिंह नेगी

अपील संख्याः 79 / 2020

तारीख रजू 06.07.2020

1. गिर्राज गुर्जर पुत्र नाथ्या गुर्जर निवासी खिरनी तहसील मलारना डूँगर।
2. हनुमान गुर्जर पुत्र नाथ्या गुर्जर निवासी खिरनी तहसील मलारना डूँगर।
3. मानसिंह गुर्जर पुत्र नाथ्या गुर्जर निवासी खिरनी तहसील मलारना डूँगर।

......अपीलान्ट्स

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार मलारना डूँगर जिला सवाई माधोपुर।

.....रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांक 18/8/22

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार मलारना डूँगर के निर्णय दिनांक 23.12.2019 के विरूद्व प्रस्तुत की है जिसके द्वारा अपीलार्थी को खिरनी ए के आराजी खसरा नम्बर 6003 रकवा 0.10 किस्म बंजड़ भूमि पर संवत 2076 मे अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर मकान बाडा बनाने का कर्ता मानकर अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने, शास्ति आरोपित करने के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया। अपीलान्ट द्वारा यह अपील तहसीलदार मलारना डूँगर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.12.2019 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी जरिये सम्मन की गयी रेस्पोडेन्ट की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित आये। अदालत मातहत से मूल पत्रावली प्राप्त होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।

वकील अपीलान्ट ने अपील में वर्णित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया है कि आ0ख0नं0 6003 रकबा 0.10 है. वाके ग्राम खिरनी सिवायचक भूमि नहीं है उक्त भूमि का सेटलमेंट से पूर्व ख0नं0 2985 [illegible] 2985 [illegible] ख0नं0 6003 का निर्माण हुआ है। 2985 रकबा 5 बीघा ग्राम पंचायत खिरनी के नाम [illegible] की [illegible] में परिवर्तित किया गया जिस पर ग्राम पंचायत ने ग्राम पंचायत के नाम न[illegible]करण भी दिनांक [illegible]78 को

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 11:57:31 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

गै0मु0आबादी स्वीकार करते हुए खोल दिया सहवन से उसका इन्द्राज नहीं होने के कारण योग्य अदालत मातहत ने आबादी भूमि को सिवायचक भूमि मानकर जो निर्णय पारित किया है वह काबिले खारिज है। यह कि ख0नं0 6003 जो कि गै0मु0आबादी भूमि है जिसका नजराना ग्राम पंचायत को अपीलांट के पिता नाथ्या ने जमा करवाया और उस पर ग्राम पंचायत के आदेश के मुताबिक अपने मकान का निर्माण किया प्रार्थीयान अपीलांटान लगभग 40–42 साल से उक्त रकबे पर मकान बनाकर काबिज चले आ रहे है। यह कि योग्य अदालत मातहत ने अपीलांटान को बिना विधिक नोटिस दिये जो निर्णय प्रदान किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत होने के कारण काबिले खारिज है। यह कि अपीलांटान ख0नं0 6003 जो कि आबादी भूमि है, उस पर ग्राम पंचायत के निर्णय के मुताबिक विधिक रूप से काबिज है अपीलांटान द्वारा सिवायचक भूमि पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं किया है। अन्त में वकील अपीलान्ट द्वारा तहसीलदार मलारना डूंगर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.12.2019 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

वकील पेरोकार सरकार ने वकील अपीलान्ट की बहस का खण्डन करते हुये बहस में तर्क दिया है कि अपीलान्ट्स द्वारा ख0नं0 6003 पर मकान बाडा बनाकर बंजड भूमि पर संवत् 2076 से अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर रखा है जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत प्रकिया अपना कर अपीलांटान को सुनवाई का मौका दिया किन्तु अपीलांट गिर्राज को छोडकर शेष अपीलांटान बावजूद नोटिस तामिल के सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं हुए। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने विधिवत प्रक्रिया अपना कर बेदखली का आदेश पारित किया है जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता/ अवैधानिकता प्रतीत नहीं होती है। अतः तहसीलदार मलारना डूँगर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.12.2019 को यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावें।

उभय पक्ष की बहस सुनने पत्रावली में सलंग्न दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अध्ययन एवं मनन करने के पश्चात मै इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि वकील अपीलांटीयान का कथन की आ0ख0नं0 6003 रकबा 0.10 है. वाके ग्राम खिरनी सिवायचक भूमि नहीं है उक्त भूमि का सेटलमेंट से पूर्व ख0नं0 2985 था अर्थात् 2985 से ख0नं0 6003 का निर्माण हुआ है। 2985 रकबा 5 बीघा ग्राम पंचायत खिरनी के नाम गै0मु0आबादी के रूप में परिवर्तित किया गया जिस पर ग्राम पंचायत ने ग्राम पंचायत के नाम नामांतकरण भी दिनांक 18.6.1978 को गै0मु0आबादी स्वीकार करते हुए खोल दिया सहवन से उसका इन्द्राज नहीं होने के कारण योग्य अदालत मातहत ने आबादी भूमि को सिवायचक भूमि मानकर निर्णय पारित किया है किन्तु इस संबंध में अपीलांटीयान द्वारा पुख्ता सबूत पेश नहीं किये गये किन्तु वकील अपीलांटीयान का कथन कि ख0नं0 6003 जो कि गै0मु0आबादी भूमि है जिसका नजराना ग्राम पंचायत को अपीलांट के पिता नाथ्या ने जमा करवाया और उस पर ग्राम पंचायत के आदेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 11:57:31 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

के मुताबिक अपने मकान का निर्माण किया प्रार्थीयान अपीलांटान लगभग 40–42 साल से उक्त रकबे पर मकान बनाकर काबिज चले आ रहे है को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। पत्रावली का अवलोकन करने पर स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 23.12.2019 में इस संबंध में कोई तथ्य अंकित नहीं किये है। इस प्रकार संदेह का लाभ अपीलांटीयान को दिया जाना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा तहसीलदार मलारना डूँगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.12.2019 को निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार मलारना डूँगर को आदेशित किया जाता है कि प्रकरण में सभी तथ्यों को सम्मिलित करते हुए पुनः नये सिरे से जांच कर निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 18/8/22 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ0सूरज सिंह नेगी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 11:57:31 IST
Reason: SelfAttested